

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र.....नि.स.-कु.स./2021

दिनांक /08/2021

आदेश

विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ समस्त इकाईयों के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं इकाईयों से संबंधित किसी भी जानकारी, आदेश, निर्देश, गोपनीय दस्तावेज, नियम एवं विश्वविद्यालय अंतर्गत आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णय, क्रियाकलाप एवं गतिविधियों, को समाचार पत्र, अन्य प्रिंट मीडिया आदि में प्रकाशित करने या कराने के पूर्व इसकी सूचना कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को अनिवार्य रूप से देवें।

अतः यदि बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार कृत्य किया जाता है तब परीक्षण उपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनहीनता बरतने एवं नियमों के उल्लंघन करने के कारण सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मा. कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 04/08/2021

पृ. क्र. 1557 नि.स.-कु.ल./2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
5. प्रभारी अधिष्ठाता मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।
6. समस्त संचालक, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
8. कार्यापालन यंत्री, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
9. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, वेटरनरी पालीटेक्निक, महाविद्यालय/जबलपुर/महू/रीवा/मुरैना/भोपाल।
10. प्रभारी वेबसाइट, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
11. सहायक कुलसचिव(सामान्य) ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव